एम०ए०सी०टी० प्रकरण क्रमांक-104/2022 मुल्कराज नेताम विरुद्ध हेमंत चौधरी वगै०

Witness No.-------02-----for-------आवेदक साक्षी--------Deposition taken the---24/01/2025---day of----शुक्रवार----Witness's apparent age--50 वर्ष---

States on affirmation---शपथपूर्वक----my name is---डॉ० घनश्याम दीवान-S/of----श्री रतन सिंह-------- occupation ----------अस्थि रोग विशेषज्ञ ------- address----- जिला चिकित्सालय कोरबा, तह० व जिला कोरबा (छ०ग०) ---------

समय 03:45 बजे से — आवेदक साक्षी क्रमांक 02

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री संतू साहू अधिवक्ता वास्ते आवेदक

01. मैं जिला चिकित्सालय कोरबा में जुलाई 2012 से अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूं तथा जिला मेडिकल बोर्ड कोरबा का सदस्य हूं ।

02. दिनांक 18.04.2024 को मुल्कराज नेताम, उम्र 23 वर्ष, निवासी बालको द्वारा आवेदन पत्र के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने हेतु जिला मेडिकल बोर्ड कोरबा के समक्ष उपस्थित हुआ था । मैंने उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज व एक्स-रे का परीक्षण करने के पश्चात पुनः एक्स-रे कराने के बाद भौतिक परीक्षण करने पर पाया कि उनके बांये घुटने की ऊपर की हड्डी फीमर टूटी हुई थी, जिसमें स्टील का रॉड बोल्ट लगा हुआ था ।

03. चोट की वजह से उसके बांये घुटने में जकडन थी, जिससे उनको पालथी मोडकर बैठने व उखडू बैठने में तकलीफ थी ।

04. भारत सरकार के नोटिफिकेशन जून 2001 तथा जनवरी 2018 गजट ऑफ इंडिया के अनुसार आकलन करने पर उनके बांये घुटने में दिव्यांगता का प्रतिशत 33.84 पाया गया था । यह दिव्यांगता स्थायी प्रकृति की थी तथा

उनके बांये घुटने के संबंध में दिया गया था । दिव्यांगता के संबंध में आकलन प्रमाण पत्र मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है । प्र पी 25 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिनेश कुमार साहू अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 01

05. यह कहना सही है कि प्र पी 25 मेरे द्वारा बनाया गया है । यह कहना सही है कि प्र पी 25 की हस्तलिपि मेरे स्वयं की है । आज मैँ नहीं बता सकता हूं कि जो दस्तावेज मुल्कराज नेताम के द्वारा दिनांक 18.04.2024 को मेरे समक्ष विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, उक्त् प्रमाण पत्र को किस डॉक्टर ने जारी किया था, आज मैं नहीं बता सकता हूं । यह कहना सही है कि जो विकलांगता प्रमाण पत्र हेतु मुल्कराज के द्वारा मेरे समक्ष जिस डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया था, उसकी तिथि व दिनांक आज मैं नहीं बता सकता हू ।
06. यह कहना सही है कि जो दस्तावेज लेकर के मेरे समक्ष मुल्कराज नेताम विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत हुआ था, उसने बताया था कि वह चोट दुर्घटना से आयी थी ।
07. यह कहना सही है कि प्र पी 25 को बनाते समय आहत ने मुझे नहीं बताया था कि किस वाहन से दुर्घटना हुई है । साक्षी कहता है कि जब मैंने पहली बार आहत का जांच किया तो मैंने उसमें एल्कोहल की मात्रा नहीं पाया था । यह कहना गलत है कि मुल्कराज को उठने-बैठने में तकलीफ नहीं होती थी । यह कहना सही है कि आहत मुल्कराज को आयी चोटे ऊंचाई से गिरने से भी आ सकती है ।
08. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा बिना जांच किये रिपोर्ट तैयार कर दिया गया

है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सी०बी० राठौर अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 02

09. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा मुल्कराज नेताम का ईलाज नहीं किया गया है। मैं नही बता सकता हूं कि आवेदक की अपंगता की संबंधित चोट उसे कब और किस प्रकार से कारित हुई थी । प्र पी 25 में उल्लेखित 33.84% अपंगता आवेदक के बांये घुटने से संबंधित है ।
10. यह कहना सही है कि प्र पी 25 का प्रमाण पत्र मेरे द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के आधार पर जारी किया गया है । उक्त गाईडलाईन भारत सरकार द्वारा माह जून 2001 एवं जनवरी 2018 में गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी किये गये है । यह कहना सही है कि किसी व्यक्ति की अपंगता ज्ञात करने के लिए उसके शरीर को तीन भागों में बांटकर आकलन किया जाता है ।
11. यह कहना सही है कि कंधे से ऊपर के भाग की अपंगता 33 प्रतिशत एवं कंधे से कमर तक के हिस्से को 33 प्रतिशत एवं कमर के निचले हिस्से को 33 प्रतिशत के हिसाब से बांटकर अपंगता निर्धारित की जाती है । यह कहना सही है कि कंधे के ऊपर के हिस्से में संपूर्ण अपंगता होने पर उसे 100 प्रतिशत अपंग होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । यह कहना सही है कि इसी प्रकार सिर एवं कमर के बीच का हिस्सा संपूर्ण अपंगता होने पर उसे 100 प्रतिशत अपंग होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । यह कहना सही है कि इसी प्रकार कमर से नीचे का हिस्सा संपूर्ण अपंगता होने पर उसे 100 प्रतिशत अपंग होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।
12. यह कहना गलत है कि पूरे शरीर के परिप्रेक्ष्य में अपंगता ज्ञात करने हेतु अंग

विशेष की अपंगता प्रतिशत में 3 से भाग दिया जाता है । स्वतः कहा कि पूरे शरीर की अंग विशेष की अपंगता प्रतिशत को 2.5 से भाग दिया जाता है । पूरे शरीर के परिप्रेक्ष्य में आवेदक की अपंगता इस प्रकार 13.53 प्रतिशत है ।

समयः-04.20 बजे तक ।

वाचित, सत्य, स्वीकृत ।

सही/-
(सुनील कुमार नन्दे)
तृतीय अपर मो०दु०दा०अधि०
कोरबा (छ०ग०)

मेरे निर्देशन में टंकित ।

सही/-
(सुनील कुमार नन्दे)
तृतीय अपर मो०दु०दा०अधि०
कोरबा (छ०ग०)